भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई

ISO 9001:2015 प्रमाणित संस्थान
(निर्माण सलाहकार सेवा प्रभाग)

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
"व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 तथा केन्द्रीय नियम 2026 के अंतर्गत निर्माण स्थल सुरक्षा"
(09 दिसंबर 2026)

पाठ्यक्रम के बारे में

निर्माण कार्य रोज़गार के सबसे जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जहाँ ऊँचाई से गिरना, संरचनाओं का ढहना, विद्युत संपर्क तथा वस्तुओं से टकराने जैसी घटनाओं से अनेक गंभीर दुर्घटनाएँ होती हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता) पूर्ववर्ती श्रम कानूनों, जिनमें भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों से संबंधित कानून भी शामिल हैं, को समेकित करती है, तथा केन्द्रीय नियम, 2026 निर्माण स्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं कार्य दशाओं की विस्तृत अपेक्षाएँ निर्धारित करते हैं।

यह एक दिवसीय कार्यक्रम नियोजकों, ठेकेदारों एवं श्रमिकों के वैधानिक कर्तव्यों एवं अनुपालन की जानकारी देता है।

उद्देश्य

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता, 2020 तथा केन्द्रीय नियम, 2026 के निर्माण संबंधी प्रावधानों से परिचित कराना तथा निर्माण स्थलों पर संकटों की पहचान करने, सुरक्षा उपायों की योजना बनाने एवं उन्हें लागू करने तथा वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता बढ़ाना है।

पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

- ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता, 2020 – अवलोकन
- केन्द्रीय नियम, 2026 – प्रावधान
- नियोजकों के कर्तव्य
- सुरक्षा समिति एवं सुरक्षा अधिकारी
- केस स्टडी एवं संवादात्मक सत्र

सहभागिता

सुरक्षा प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी, साइट इंजीनियर, परियोजना प्रबंधक, ठेकेदार तथा निर्माण स्थलों से जुड़े सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पेशेवर। इंजीनियरिंग के छात्र तथा सीखने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति।

तिथि एवं समय

एक दिवसीय –
09 दिसंबर 2026 (बुधवार)
1000 बजे से 1700 बजे तक।

स्थान

केन्द्रीय श्रम संस्थान का प्रशिक्षण कक्ष, मुख्य भवन,
सायन, मुंबई – 400 022

प्रशासनिक विवरण

संस्थान शुल्क @ रु. 3000/- प्रति प्रतिभागी, भारतकोश पोर्टल (https://bharatkosh.gov.in) के माध्यम से निम्नलिखित चरणों द्वारा ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, **पाठ्यक्रम समन्वयक से नामांकन की पुष्टि के बाद।**

संस्थान शुल्क में किसी भी प्रकार का जलपान शामिल नहीं है।

भुगतान की प्रक्रिया:

- लॉग इन करें: https://bharatkosh.gov.in
- क्लिक पेमेंट
- मंत्रालय: 021 **श्रम एवं रोजगार**
- प्रयोजन: **आयोजित कार्यशाला का प्रशिक्षण शुल्क अथवा पाठ्यक्रम शुल्क**
- **वेतन एवं लेखा कार्यालय** (PAO): 030263-PAO (डीजीएफएएसएलआई), मुंबई
- डीडीओ कोड: 230265 (केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई)
- टिप्पणी: **निर्माण स्थल सुरक्षा**

आवास:

वर्तमान में आवास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

नामांकन

नामांकन **03 दिसंबर 2026** तक **ईमेल** द्वारा पाठ्यक्रम समन्वयक, **निर्माण सलाहकार सेवा प्रभाग**, केन्द्रीय श्रम संस्थान, एन.एस. मनकीकर मार्ग, सायन, मुंबई – 400 022 को भेजा जा सकता है।

पाठ्यक्रम निदेशक एवं समन्वयक:

श्री रमेश सिंह रावत, निदेशक एवं प्रभारी, निर्माण सलाहकार सेवा प्रभाग

कार्यक्रम में प्रवेश इस संस्थान से पुष्टि के अधीन है।

मोबाइल नं. - 9969400940
वेबसाइट www.dgfasli.gov.in
ई-मेल :
ramesh.rawat28@dgfasli.nic.in
cas-dgfasli@dgfasli.nic.in

<u>नामांकन-सह-पंजीकरण प्रपत्र</u>

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 तथा केन्द्रीय नियम 2026 के

अंतर्गत निर्माण स्थल सुरक्षा"
(09 दिसंबर 2026)
स्थान:
<u>केन्द्रीय श्रम संस्थान, सायन, मुंबई – 400 022</u>

प्रतिभागी का विवरण

नाम (बड़े अक्षरों में)	:
पदनाम	:
संपर्क हेतु पता	:
आयु	:
योग्यता	:
कुल अनुभव	:
मोबाइल नं.	:
ई-मेल आईडी	:

प्रायोजक संगठन का विवरण

नाम एवं पता	:
दूरभाष / मोबाइल नं.	:
ई-मेल	:
फैक्स नं.	:

संबंधित श्रेणी :- :सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / दिव्यांग / पूर्वोत्तर क्षेत्र*

*=पूर्वोत्तर क्षेत्र

हस्ताक्षर

नामांकन प्रपत्र इस ई-मेल आईडी पर भेजें: ramesh.rawat28@dgfasli.nic.in और cas-dgfasli@dgfasli.nic.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
CENTRAL LABOUR INSTITUTE, MUMBAI

ISO 9001:2015 CERTIFIED INSTITUTE
(CONSTRUCTION ADVISORY SERVICE DIVISION)

One Day Training programme on
"Construction Site Safety under OSH & WC Code, 2020 and Central Rules 2026"
(09th Dec 2026)

ABOUT THE COURSE

Construction is among the most hazardous sectors of employment, with falls from height, structural collapse, electrical contact and struck-by incidents causing many serious accidents. The OSH & WC Code, 2020 consolidates the earlier labour laws, including those for building and other construction workers, and the Central Rules, 2026 prescribe the detailed requirements for safety, health, welfare and working conditions at construction sites.

This one-day programme, organised by the Construction Advisory Service Division, imparts knowledge on the statutory duties of employers, contractors and workers, site safety systems and compliance requirements.

OBJECTIVE

The objective of this Training programme is to familiarize participants with the construction-related provisions of the OSH & WC Code, 2020 and the Central Rules, 2026, and to enhance their ability to identify hazards, plan and implement safety measures, and ensure statutory compliance at construction sites.

COURSE HIGHLIGHT

- OSH & WC Code, 2020 – Overview
- Central Rules, 2026 – Provisions
- Duties of employers
- Safety Committee & Safety Officer
- Case studies and interactive session

PARTICIPATION

Safety Managers, Safety Officers, Site Engineers, Project Managers, Contractors and Safety & Health Professionals connected with Construction Sites. Engineering Students and anyone interested for learning.

DATE AND TIMINGS

One day –
09th Dec 2026 (Wednesday)
from 1000 Hrs to 1700 Hrs.

VENUE

Training hall of Central Labour Institute,Main Building, Sion, Mumbai – 400 022

ADMINISTRATIVE DETAILS

Institution fee @ Rs 3000/- per participant through Bharatkosh portal (https://bharatkosh.gov.in) may be deposited online by using the following steps **after nomination confirmed from Course Coordinator**. Institution fee does not include any refreshment.

Payment procedures:

- Log in to https://bharatkosh.gov.in
- Quick Payment
- Ministry: 021 Labour & Employment
- Purpose: Training Fee or Course fee of the workshop conducted
- Pay & Account Office (PAO): 030263-PAO (DGFASLI), Mumbai
- DDO Code: 230265 (Central Labour Institute, Mumbai)
- Remarks: Construction Site Safety

ACCOMMODATION:

No accommodation facility is available at present.

NOMINATION

Nomination may be sent by **email** to the Course Coordinator, Construction Advisory Service Division, Central Labour Institute, N.S. Mankikar Marg, Sion, Mumbai –400 022, on or before **03 December 2026.**

Course Director & Coordinator:

Shri Ramesh Singh Rawat, Director & In-Charge, Construction Advisory Service Division

Admission to the programme is subject to confirmation from this Institute.

Mobile No - 9969400940
Website www.dgfasli.gov.in
E-mail :
ramesh.rawat28@dgfasli.nic.in
cas-dgfasli@dgfasli.nic.in

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

One Day Training programme on "Construction Site Safety under OSH & WC Code, 2020 and Central Rules 2026"

(09th Dec 2026)

AT

CENTRAL LABOUR INSTITUTE, SION, MUMBAI – 400 022

PARTICIPANT'S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

e-mail id :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No. :

E-mail :

Fax No. :

BELONGS TO :- :GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*

*=North Eastern Region

SIGNATURE

Nomination form to be sent to email id ramesh.rawat28@dgfasli.nic.in and cas-dgfasli@dgfasli.nic.in